न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 70 / 2012

RCMS No. 2012/00317

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामचन्द्र पुत्र जीताराम कुमावत 2 बालाराम पुत्र नेनाराम दमामी 3 घनश्यामदास पुत्र लेखुमल सिन्धी 4 छोटाराम पुत्र जीताराम कुमावत निवासीगण वीर दुर्गादास नगर, मारवाड़ जंक्शन		1. इन्द्रादेवी पत्नी देवाराम जाति खटीक निवासी राजकियावास हाल निवासी वीर दुर्गादास नगर मारवाड़ जंक्शन 2. सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांकः— 20.3.24

प्रार्थीगण ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 49 / 2003—2004, संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 11.12.2009 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश की गयी है।

प्रस्तुत निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की। उभयपक्ष अभिभाषकगण वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पुर्व में प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जायेगा।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम मारवाड़ जंक्शन में वीर दुर्गादास नगर में सार्वजनिक चौक की भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टे के पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में पड़त भूमि तथा दक्षिण में प्रकाशचन्द पुत्र पूनमचन्द का प्लॉट संख्या 422 स्थित होना अंकित किया है। उक्त भूमि वीर दुर्गादास नगर में कोर्नर पर सड़क की दोनों भुजाओं से लगते हुए स्थित है, जिसका उपयोग उपभोग मोहल्लेवासीयों द्वारा शादी, विवाह, समारोह हेतु तथा वाहनों की पार्किंग हेतु किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन में मिथ्या आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वादस्थ पट्टे से सम्बन्धित भूमि को अपने पुश्तैनी ससुर के हिस्से की भूमि बताकर आवेदन किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 मूलतः राजकियावास की निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का पति जन स्वास्थ्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत है, जो अपनी नौकरी के कारण ही मारवाड जंक्शन में निवास करते है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की मिसल विधि पूर्ण तरीके से कायम नहीं की गई तथा न ही नियमों के अनुरूप किसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। जैर निगरानी पट्टा चुनाव के दो माह पूर्व प्रतिबन्धित अवधि में गैर कानुनी तरीके से जारी कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है तथा पूर्णत्या अवैध है। सम्पूर्ण मिसल में मात्र खानापूर्ति करते हुए कार्यवाही अपनाई गई है। जैर निगरानी पट्टे के दक्षिण दिशा में प्रकाशचन्द पत्र पुमनचन्द का प्लोट संख्या 422 अंकित है, जबकि प्रकाशचन्द के नाम जारी पट्टा संख्या 239 वर्ष 1972 में जारी किया गया है, उस भूमि के उत्तर में पड़त भूमि है। यदि वहां पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी भूखण्ड होता, तो निश्चय ही उसका इन्द्राज प्रकाशचन्द के पट्टे में होता। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी कार्यवाही बिना पारदर्शिता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर नहीं की जा सकती है तथा कोई क्रेता, जो ग्राम पंचायत से भूमि क्रय करता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि किस उपयोग में आ रही है, उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है तथा वह जनहित में कितने व्यक्तियों को पोषित करती है, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। बिना विस्तृत तरीके से परिपालन तथा जानकारी किये बिना कोई पट्टा या मिसल कायम की जाती है, तो वह पूर्णतया दूषित एवं संक्रमित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी चतुराई से अपने पति के प्रभाव का नाजायज लाभ प्राप्त करते हुए वीर दुर्गादास नगर के मोहल्लेवासीयों की वर्षो से उपयोग उपभोग में आने वाले सार्वजनिक कब्जासुदा चौक का मात्र दो सौ रूपये में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करावें।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 49/2003–2004, संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 11.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 05.02.2004 को सरपंच ग्राम पंचायत मा. जं. के समक्ष अपने कब्जासुदा प्लॉट की भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 09.02.2004 को मिसल कायम की जाकर प्रस्तावित भूमि के नक्शा बनाने के आदेश पारित किये, किन्तु उक्त आदेश पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। मिसल के संलग्न जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर नक्शा बनाने वाले तथा 3 वार्ड पचों के हस्ताक्षर नहीं है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 20.06.2009 के द्वारा नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचो की निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसकी पालना में प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अप्रार्थी का पुश्तेनी कब्जा होना जाहिर किया। नियम 148 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा इसके पश्चात दिनांक 05.12.2009 तक किसी

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर का 50 वर्षो का कब्जा होने से सरपंच एवं वार्ड पचों की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने के आदेश दिये गये। जबकि मिसल के संलग्न बयान फार्म में बयान एक ही प्रकार के कागज पर एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये तथा बयान कब दिये गये इस सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से पाया कि बैठक दिनांक 22.09.2009 के प्रस्ताव संख्या 06 में मिसल संख्या का अंकन अलग स्याही से किया गया है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उक्त मिसल संख्या का अंकन बाद में किया गया है। बैठक दिनांक 05.12.2009 के प्रस्ताव संख्या 03 के अनुसार जैर निगरानी मिसल में एक माह के अनापत्ति अवधि के नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये है साथ ही उक्त प्रस्ताव में मिसल संख्य के इन्द्राज में काटछांट की गई है जबकि मिसल दिनांक 05.12.2009 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये है। इन दोनो में भिन्नता होने से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

जैर निगरानी पट्टा राज. पंचायतीराज नियम के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। वर्तमान में प्रभावी, राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हे निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रूपये

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीकक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो से संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रूपये।

जबकि प्रकरण में उक्त नियम की पालना नहीं कर अप्रार्थी संख्या 1 को पुश्तैनी कब्जे सुदा प्लॉट का पट्टा जारी किया गया है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 11.12.2009 पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः जैर निगरानी प्रकरण में समस्त कार्यवाही पंचायती राज नियमों के विरूद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से कर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंचायती राज नियमों से परे जाकर पट्टा जारी किया गया है जो न्यायोचित नहीं होने एवं काबिल खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मिसल दिनांक 09.02.2004 को प्रथम रूप से बिना सरपंच के हस्ताक्षर कर जारी की गयी तथा दिनांक 20.06.2009 को पुनः उसी मिसल में नये रूप से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जबकि इतने वर्ष बिना सरपंच के हस्ताक्षर व आवेदन स्वीकृति के अभाव में मिसल को पुनः निरन्तर उसी स्थिति में आगे से आगे कायम करना प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। बयान फार्म में बयान एक ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रकार के कागज पर एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये तथा बयान कब दिये गये इस सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 22.09.2009 के प्रस्ताव संख्या 06 में मिसल संख्या का अंकन अलग स्याही से होना एवं बैठक दिनांक 05.12.2009 में मिसल संख्य के इन्द्राज में काटछांट की गई है तथा बैठक दिनांक 05.12.2009 के प्रस्ताव संख्या 03 के आदेश एवं मिसल दिनांक 05.12.2009 के आदेश में भिन्नता होने तथा से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 11.12.2009 पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त पट्टा विधिविरूद्ध होने एवं न्यायसंगत नहीं होने से जारी रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 49/2003–2004, संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.12.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 11.12.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत मारवाड़ जंक्शन का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली